संख्या-79/2018/424/35-3-2018-1(34)/2017

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
बलरामपुर ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-बलरामपुर में शासनादेश संख्या 34/2018/123/35-3-2018-1(34)/2017, दिनांक 31 जनवरी, 2018 द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना कार्योहेतु रू. 7.72 लाख(रू. सात लाख बहत्तर हजार मात्र) की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये केन्द्रांश के सापेक्ष, प्रथम किश्त के रूप में रू. 4.17 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । एतददवारा निम्नलिखित कार्यो की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये अवशेष देय,**राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में** रू. 2.78 लाख (रू.दो लाख अटठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की,श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

(धनराशि लाख रू. मे)

विकासखंड का नाम	क्रम सं०	**परियोजना का नाम**	प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन	**केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि**	**राज्यांश के सापेक्ष अवमुक्त की जा रही धनराशि**
		कार्यदायी संस्था- यू0पी0 नेडा			
पचपेडवा	1	**सोलर स्ट्रीट लाईटकी स्थापना 37 अदद**	**7.72**	**4.17**	**2.78**
		योग	**7.72**	**4.17**	**2.78**

1- संदर्भित शासनादेश दिनांक 01 फरवरी,2018 की शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

2- जिलाधिकारी द्वारा दिवतीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतुप्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की ग्रयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्व ढंग से स्वीकृत लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृदिध अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-03-सोलर लाइट/सोलर पम्प/सोलर पावर फेंसिग के लिये एकमुश्त व्यवस्था-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई- 5-394 (vii)/दस-2018 दिनांक 26 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-79/2018/424(1)/35-3-2018-1(34)/2017 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुप्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिवअतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त,देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी,बलरामपुर ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत अनुभाग'-1 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटनमण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी,बलरामपुर ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।